NT>
Title: Called the attention of the Minister of Home Affairs to the situation arising out of reported burning of some tribal women and children in Nikhrel village in Purnea District of Bihar on 14th December, 1998 and the action taken by the government in regard thereto.

12.13 hrs.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें :

'बिहार के पूर्णिया जिले के निखरेल गांव में १४ सितम्बर, १९९८ को कुछ आदिवासी महिलाओं और बच्चों को कथित रूप से जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही।'

>THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): As per the report received from the State Government, there was a dispute about a piece of land at village Gogar Istambrar under Baisi Sub-Division of Purnea district, Bihar. One Mussawar Mian was the land holder of the said land, but it was cultivated by some Adivasis on tenancy basis. About one and a half years back, the land owner announced that he had obtained a decree in his favour from the hon. High Court by which the sikmi or tenancy right of the Adivasis was abolished. On the 13th December, 1998, the land holder sent his tractor to plough the land. The tractor driver was reportedly killed by the Adivasis and the tractor was set on fire and the body of the tractor driver was thrown into the fire. Angered by the killing of the tractor driver, a big mob of villagers belonging to the minority community came with arms and set fire to 59 huts belonging to the Adivasis of the villages of Kamladih, Koyala, Bhakri Tola and Chanabri Ban in Purnea district. Six Adivasis, including three children, were killed and eight people were injured.

The district administration reached the place of occurrence and brought the fire under control. Raids were launched to nab the killers. Ten persons including Mussawar Mian have been arrested so far. The State Government has sanctioned Rs.1 lakh to the next of kin of each of the deceased. This is apart from relief by way of free ration, polythene and blankets.

Four static armed pickets and two patrolling parties along with a Magistrate have been deployed in the area. The situation is under control.

... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Madam, they have given notices. I will allow you later and not now.

... (Interruptions)

SHRI P.C. THOMAS (MUVATTUPUZHA): Sir, I have given a notice for raising a privilege issue. ... (Interruptions)

MR. SPEAKER: Not now please. Shri Ram Vilas Paswan.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इसमें से कई पूरक प्रश्न उठते हैं। एक तो पहला मुद्दा भूमि विवाद का है, दूसरा लोगों के मारे जाने का है। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि पहली घटना कितने बजे हुई, जब मुसव्वर मियां को मारा गया। जो दूसरी घटना थी, जिसमें आदिवासी

12.16 hrs. (Mr. Deputy Speaker in the Chair)

लोग मारे गये, वह कितने बजे की घटना है? वहां से थाने की दूरी कितनी है और वहां पुलिस प्रशासन बल कितने बजे पहुंचा?

चूंकि मुझे जानकारी है कि आठ बजे दिन में पहली घटना घटी है, जिसमें भूमिपति यानी मुसव्वर मियां की हत्या हुई और उसके बाद

... (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : उनके ड़ाईवर की हत्या हुई।

श्री राम विलास पासवान : ठीक है। इसमें उन्होंने ड़ाईवर का नहीं कहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि उक्त भूमि एक मुसव्वर मियां की थी, जिसे कुछ आदिवासियों द्वारा काश्तकारी आधार पर जोता जा रहा था और डेढ़ बजे उन्होंने घोषणा की थी और न्यायालय के पक्ष में उन्होंने किया था, यह बात ठीक है। जो लोग मारे गये, उसमें पहली घटना हमारी जानकारी के मुताबिक आठ बजे दिन में घटी है और दूसरी घटना ११ बजे या उसके बाद में घटी है।

... (व्यवधान)

वही तो मैं कह रहा हूं कि आठ बजे दिन में पहली घटना घटी है और दूसरी घटना दिन में ११ बजे घटी है। जब वहां हल्ला हुआ तो २०-२० किलोमीटर के लोग वहां इकट्ठे हो गये, वहां से थाने की दूरी ४-५ किलोमीटर थी, लेकिन थाने से पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां कितने बजे पहुंचे? मेरी जानकारी के मुताबिक यदि टाइमली वहां एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंच गये होते तो इस घटना को रोका जा सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्णिया जिले में यह विवाद आज से नहीं है। बिहार में या दुर्भाग्य से अन्य सारे राज्यों में जो भूमि सुधार कानून है, वह भूमि सुधार कानून लागू नहीं हो पाया है और लागू नहीं हो पाने के कारण अकेले इस जिले में आज से नहीं १९६२-६३ से, जब हम लोग पढ़ते थे, चन्दवार और बसपुर की घटना वहां घटी थी, जहां १९७० में ६०-६२ लोग मारे गये थे। हमारे पास में जो विवरण है, उसके बाद १९८४ में भी घटना घटी, वहां १९८६ में भी घटना घटी, १९९१ में घटना घटी, जिसमें कांग्रेस के लोग मारे गये। १९९२ में घटना घटी, जिसमें दो सी.पी.एम. के लोग मारे गये। अभी इस घटना के कुछ दिन पहले घटना घटी थी और उसी जगह पर १९९१ और १९९२ की घटना घटी, गृह मंत्री जी। लेकिन आज तक गरीब को कोई जमीन नहीं मिल पाई और आपका जो एक्ट है, पता नहीं, आपके अंडर में है कि नहीं और आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि यह जो भूमि सुधार कानून है, यह जो सीलिंग एक्ट है और उसका जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर में कितने गरीब लोगों को आज तक जमीन मिली है, यह मुझे मालूम नहीं है। हां, जितने गरीब लोगों को जमीन मिली है, उससे ज्यादा गरीब लोग उसके कारण मारे गये हैं, इतनी हमको जानकारी है।

हम लोगों ने कितनी ही बार जमीन के मुद्दे को लेकर आन्दोलन किया, १९७० में, १९७१ में नौ-नौ महीने हम लोग जेल में रहे, लेकिन एक भी गरीब को एक इंच जमीन नहीं मिल पाई, क्योंकि जो जमीन का कानून है, उसका जो प्रोसीजर है, वह इतना टेढ़ा है कि कितना भी कुछ करने के बाद उसमें कुछ नहीं होता।

... (व्यवधान)

वह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, ठीक है, मैं वही कह रहा हूं। इसमें एक ही एक्ट नहीं है, जिसको आप नाइंथ शैडयूल में डाल सकते हैं, उसमें बहुत सारे एक्टस हैं। उसमें हर एक को नाइंथ शैडयूल में डालना सम्भव है कि नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो जमीन का मामला है, उस जमीन के मामले को लेकर एक तरफ गरीब के मन में आशा जगती है कि चूंकि हमको पर्चा मिल गया है,

हम इस जमीन के मालिक हो गए, दूसरी तरफ जो कोर्ट है, उसका नियम और प्रशासन का मुद्दा उसमें बाधाएं पैदा करता है, इससे उनको जमीन नहीं मिल पाती है। आधी शताब्दी हमें आजाद हुए बीत गई है, लेकिन उन लोगों को जमीन नहीं मिल सकी। शुरू में हमने देखा कि बड़े लोगों ने अपने कुत्तों-बिल्लियों के नाम जमीन कराकर उसे अपने कब्जे में कर रखा था। आज की तारीख में कितनी जमीन बची है या नहीं बची, हमें मालूम नहीं है। जमीन पर गरीब को अधिकार मिले, गरीब इस आस में है कि जमीन उसको मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही है, उल्टे उसकी हत्या हो रही है। दूसरी बात मैं प्रशासन के बारे में कहना चाहूंगा। प्रशासन का जो रुख है, वह चाहे दलित वर्ग के प्रति हो या अल्पसंख्यकों के प्रति हो, निर्दयतापूर्ण है। मैं इसको दलगत भावना से ऊपर उठकर कहना चाहता हूं। सीतामढ़ी में गरीब लोग रिलीफ मांगने के लिए जा रहे थे, तो वहां छः लोगों की हत्या हो गई, उनमें दो अल्पसंख्यक थे, अयूब खां और मुनि मियां, जिनको जिंदा जला दिया गया। प्रशासन के सामने जिंदा जला दिया। यह भी नहीं हुआ कि वे अल्पसंख्यक हैं, उनको दफनाया जाए। इसी तरह से एक मुसहर परिवार, जो सबसे गरीब होता है, उसके घर में पुलिस चली गई और एक मुसहर बच्चे को मार दिया। उसकी मां को घसीटने का प्रयत्न किया गया, उसकी गोद में छोटा बच्चा था।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): अकेले बिहार का यह मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): आपको जब मौका मिले, आप उत्तर प्रदेश के बारे में कहें

... (व्यवधान)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अगर बिहार पर बहस होगी तो हम लोग भी बोलेंगे। यह मामला रीता वर्मा जी उठा चुकी हैं, स्टेट सब्जेक्ट है।

... (व्यवधान)

अगर इस पर बहस करनी है तो हमें भी मौका दिया जाए।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह विषय उठाया जा चुका है। बार-बार यही बात होती है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के सम्बन्ध में चर्चा करवाई जाए, यह मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश में ऐसे १०० गुना अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को गोलियों से मारा जा रहा है

... (व्यवधान)

हमारे जिले में ऐसे बहुत सी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इनको हर वक्त बिहार ही दिखाई दे रहा है

... (व्यवधान)

नियम के विरूद्ध सदन नहीं चल सकता, नियम के अनुसार चलना चाहिए। सीतामढ़ी के सम्बन्ध में चर्चा हो चुकी है ... (व्यवधान)

श्री गंगा चरण राजपूत (हमीरपुर) (उ.प्र.) : जितने लोग उत्तर प्रदेश में मारे गए हैं, वे सारे सूचीबद्ध अपराधी हैं

... (व्यवधान)

मुलायम सिंह जी उनके बारे में नोटिस दें कि कौन-कौन लोग मारे गए हैं

... (व्यवधान)

वहां सारे माफिया गुंडे मारे जा रहे हैं।

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ram Vilas Paswan, Please confine your speech to the subject. You are not confining your speech to the topic. That is why there were so many interruptions.

... (Interruptions)

श्री राम विलास पासवान : मुलायम सिंह जी, आप यहां तीन-चार दिन से नहीं थे, यह जीरो ऑवर नहीं है, यह ध्नायाकर्षण प्रस्ताव है।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हमें पता है, आप हमें नियम न बताएं। हमारा नाम लेकर बोलेंगे तो हमें भी मौका दें। हमने आपसे ज्यादा नियम पढ़े हैं। जौनपुर में चार मुसलमान मार दिए, क्या हुआ

... (व्यवधान)

यह क्या बात हुई?

... (व्यवधान)

आप दुनिया भर के बारे में बोलिए, हम सुन रहे हैं लेकिन

... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मैं फिर कहना चाहूंगा

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Paswan, you will have to confine to your subject.

... (Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, you have been my friend since 1977. Your name and mine used to appear for Calling Attention not once but hundreds of times. If there is any atrocity on Scheduled Tribes, it is a matter concerning the Indian Constitution. This is not a State subject... (Interruptions).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Paswan, I think, you have misunderstood me.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, if you do not want, I will not ask any supplementary. Whatever the Home Minister has said, that is sufficient. I withdraw my question. Please proceed on other items. I do not want to raise any controversy... (Interruptions). I have not gone outside the purview of discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is with regard to burning of tribals in Purnea.

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, not only the tribals, but the Muslims have also been burnt. That is why, I am raising this issue. This arises from the Home Minister's statement.

केवल ट्राईबल्स ही नहीं जलाए जा रहे हैं, मुस्लिम भी वहां जलाए गए हैं। ... (व्यवधान) कुछ लोग इसे हिन्दू मुसलमान का इश्यू बनाना चाहते हैं।

Sir, you please go through the Home Minister's statement.

इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन पर कांसनट्रेट कर रहा हूं। मैंने बिहार सरकार के संबंध में नहीं कहा है। यह सिर्फ ट्राईबल्स का मामला नहीं है बल्कि ट्राईबल्स के पहले मैंने कहा कि इसमें मुस्लिम भी मारे गए हैं। पहले भी जब मारे गए थे तब मुस्लिम मारे गए थे और अभी भी मुस्लिम मारे गए हैं, शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोग मारे गए हैं। मैं इतना ही गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन घटनाओं पर बिहार सरकार या बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या एक्शन लिया? मैं कहना चाहता हूं कि यदि सही समय पर पुलिस वहां पहुंच गई होती, यदि सही समय पर डिसट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंच गया होता तो इतनी बड़ी घटना को घटने से रोका जा सकता था। आज जिस तरीके से चाहे ट्राईबल्स का घर हो या मुस्लिम का घर हो, पुलिस फोर्स द्वारा वहां जाकर उनको बेज्जत किया जा रहा है, उसे रोका जा सकता था। इसलिए मैंने यह सवाल पहले ही पूछा कि कितने बजे यह घटना हुई? कितने बजे तक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पहुंचा और जो लैंड रिफॉर्मस एक्ट हैं, उसे कड़ाई से लागू करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? मैंने यह सवाल संक्षेप में जानने का प्रयास किया था। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि सरकार इस बात का एश्योरेंस दे कि यह भूमि विवाद कानून को कम्युनल कलर नहीं दिया जाए जिससे वहां हिन्दू मुसलमान का दंगा, चूंकि हर पार्टी के लोग वहां पहुंच रहे हैं, इसलिए मैंने आपके माध्यम से क्लेरिफिकेशन जानने की कोशिश की थी जिससे कि गरीब, माइनॉरिटी और सभी वर्गों के लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा): मैंने नोटिस दिया था। दो मिनट का मुझे मौका दीजिए।

... (व्यवधान)

मैंने लिखकर दिया था।

... (व्यवधान)

दूसरे पक्ष को भी सुन लिया जाए।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Fatmi, I cannot permit you. Under Rule 197, you have to give notice.

SHRI MOHAMMAD ALI ASHRAF FATMI (DARBHANGA): Sir, I want to put before the House only a few words.

I will take only two minutes, not more than that...(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Fatmi, If I have to give permission to you, then I have to give permission to her. So, you cannot speak now.

... (Interruptions)

PROF. RITA VERMA (DHANBAD): Sir, I just want to say something. I raised this matter in Parliament... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Fatmi, under Calling Attention, you cannot have a discussion. I cannot give permission to you now. I think there is no precedent.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is there any precedent? I do not think there is any precedent.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no precedent.

... (Interruptions)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम होना चाहिए कि नियम १९७ के तहत पांच नाम आ सकते हैं। इसमें दो व्यक्तियों के नाम थे, इसलिए दोनों व्यक्तियों के नाम आ गए। इस पर डिसकशन नहीं हो सकता है। नियम १९७ के अनुसार स्कोप के बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे बताइए, मैं कैसे जा सकता हूं। नियम १९७ बिल्कुल क्लीयर है कि डिसकशन नहीं कर सकते हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : इन्होंने जो कुछ कहा है, सदन को मिसइन्फार्म किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : रीता वर्मा जी सवाल पूछने के लिए कह रही हैं। उधर से बिहार के अन्य सदस्य भी हैं।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : मेरे पास डाक्युमेंटस हैं। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा है कि पुलिस नहीं पहुंची

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am sorry. Nothing will go on record.

(Interruptions)*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Home Minister to reply now.

... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You cannot do like that. Please understand me. I cannot make it a discussion now under Calling Attention. You are raising it. Prof. Rita Verma is raising it. Shri Shastri is raising it. So many other Members are there. The rule regarding Calling Attention specifically says that this cannot be a matter for discussion. What can I do? You should have given the notice earlier.

The hon. Minister to give the reply now.

---

* Not Recorded.

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पासवान जी की बात से सहमत हूं, इस घटना को साम्प्रदायिक झगड़ा करके प्रस्तुत करना सर्वथा गलत होगा। मैंने अपने वक्तव्य में पहली बात कही है कि हमने बिहार की सरकार से जानकारी की। बिहार की सरकार ने हमको बताया कि मूलतः यह झगड़ा या यह जो हिंसा हुई, उसका आधार जमीन के बारे में एक विवाद है। उस जमीन के विवाद के बारे में, जो जमीन के मालिक थे, उन्होंने आज से ड़ेढ़ साल पहले एक घोषणा की और उस घोषणा के बाद, अभी अभी उन्होंने एक ट्रैक्टर भेजा। घोषणा यह की कि अब आपको अधिकार नहीं है, शिकमी अधिकार नहीं है, टैनेंन्सी अधिकार नहीं है, इसलिए हम इस पर जोत करेंगे। उन्होंने ट्रैक्टर भेजा और उस ट्रैक्टर को फिरोज़ मियां चलाने वाले थे। वह जब ट्रैक्टर लेकर आया, तों वहां पर जितने पहले टैंनेंनसी राइट थे, जो पहले वहां पर काश्त करते थे, उन्होंने उसको पकड़कर मारा, जिससे उसकी हत्या हो गई। फिर ट्रैक्टर को जलाया और उसमें उसकी लाश डाल दी। इस कारण वहां पर उत्तेजना फैली। उसके बाद पांच हजार का एक मॉब वहां पर आया और उस पांच हजार के मॉब ने आकर आदिवासियों की झौपड़ी में आग लगा दी तथा आग के लगने से पांच आदमी मारे गए, जिनमें से तीन बच्चे थे। जो तथ्य बिहार सरकार ने हमको दिए, वे हमने आपके सामने रख दिए। इस बारे में राम विलास पासवान जी जानकारी दे रहे हैं और दूसरे सदस्य जानकारी दे रहे हैं कि कितनी दूरी पर थाना है। इस बारे में आप जानकारी चाहेंगे, तो मैं एक बार फिर जानकारी प्राप्त करके दे दूंगा। लेकिन इस बात को स्वीकार करना चाहिए, जब इस प्रकार की घटना के बारे में केन्द्रीय सरकार से

वक्तव्य मांगा जाता है, तो केन्द्रीय सरकार प्रायः उतना ही वक्तव्य देगी, जितना कि राज्य सरकार सूचित करती हैं। उसके आधार पर ही हम आगे बढ़ते हैं। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : जब रिपोर्ट मांगी जाती है, तो कन्सर्निंग आफिसर जो केन्द्रीय सरकार का होता है, उसको मालूम होता है कि सप्लीमेंट्री में ये सवाल आ सकते हैं, तो जानकारी लेनी चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः ठीक बात है।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, यह दस बजे की घटना है। लेकिन इस घटना और दूसरी घटना के बीच में दो-तीन घन्टे का अन्तराल था। यदि इस दो-तीन घन्टे के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया होता, तो दूसरी घटना को रोका जा सकता था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : पासवान जी भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक प्रकार से दोषी माने और यह घोषणा मैं यहां कर दूं, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। आपने जो बातें कहीं वह अगर सही मान ली जाए और मैं कहूं कि बड़ी भयंकर दुर्घटना हुई, जिसमें सात लोग मारे गए, तीन बच्चे मारे गए उसको रोकने की स्थिति थी उसके बावजूद भी वहां की प्रदेश सरकार ने नहीं रोका तो मैं समझता हूं कि उसका अर्थ दूसरा लिया जाएगा। फिर जिस प्रकार की यहां से टिप्पणियां होने लगीं वैसी होने लगेंगी, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर सदन चाहेगा तो मैं ओर डिटेल्स लाकर सदन को दे सकता हूं। फिलहाल मैं समझता हूं कि जितनी मैंने जानकारी दी है उसके आधार पर इतनी बात स्पष्ट होती है कि जो हुआ वह इस कारण हुआ कि वहां ट्रेक्टर जोतने वाला गया और उस ट्रेक्टर ड़ाइवर की हत्या कर दी, उसे जला दिया गया, ये दोनों चीजें गलत हुई हैं। उसको सरकार रोक सकती थी या नहीं रोक सकती थी इस पर मैं टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री राम विलास पासवान : महोदय, मैंने कहा कि लैंड रिफार्मस के संबंध में कानून को सरल बनाया जाए। अभी भी जिन लोगों को जमीन दी है वे सीधे जमीन के मालिक हो जाए, चाहे वे ट्राइबल हों या गरीब हों, क्या इस संबंध में सरकार कुछ सोच रही है?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं इस विषय में लॉ कमीशन से भी सलाह करूंगा कि आज जो भू सुधार का कानून है उसके बारे में बिहार और अन्य प्रदेशों का अनुभव है, उसके संदर्भ में उसमें फिर से परिवर्तन करने की जरूरत है या नहीं।

... (व्यवधान)

श्री बूटा सिंह (जालौर): गृह मंत्री जी राज्य सरकार से बात करें।

... (व्यवधान)

यह भी पूछ लें कि कोई कचेहरी का हुक्म था या ऐसे ही चला गया.

... (व्यवधान)

12.36 hrs.

MOTION RE: EIGHTH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF TOURISM (SHRI MADAN LAL KHURANA): Sir, I beg to move:

"That this House do agree with the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 18th December, 1998."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That this House do agree with the Eighth Report of the Business Advisory Committee presented to the House on the 18th December, 1998."

The motion was adopted.

SHRI I.K. GUJRAL (JALANDHAR): I am not questioning the Report. I only want one clarification. Since I have not seen the Report, my ignorance may be excused. I hope, the Report provides that tomorrow we are going to discuss the Foreign Policy.

श्री मदन लाल खुरानाः कल इस पर प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया था उस पर पूरी बहस होनी है।